

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 197 / 2013

दायर दिनांक 09.09.2013

दयाराम उनवान तहसीलदार
बनाम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 05.12.2019

—:निर्णय:—

पतरावली पेश हुई वकिल वादी हाजिर नही वादी की फौत हुए 90 दिवस से अधिक हो चुके वादी दवरा कायम मुकाम बाबत कोई विधिवत प्राथना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया वाद पत्र अबेट हो जानी से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है अत -पतरावली फैसल होकर नम्बर से कम है



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

